13-8-2025 वकील पक्षकारों के उपस्थित पेश। पक्षकार व उपस्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है। निर्णय/आदेश बाबत पत्रावली मुलाहिजा हो। लोक मूल्यांकन प्राप्त नहीं हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)